केंद्रीय बजट 2021-22 का विश्लेषण

बजट की मुख्य झलकियां

- व्यय: 2021-22 में सरकार ने 34,83,236 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है। संशोधित अनुमान के अनुसार, सरकार ने 2020-21 में 34,50,305 करोड़ रुपए खर्च किए जोकि बजट अनुमान से 13% अधिक है।
- प्राप्तियां: 2021-22 में प्राप्तियां (उधारियों के अतिरिक्त) 19,76,424 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जो 2020-21 के संशोधित अनुमानों से 23% अधिक है। 2020-21 में प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमान, बजट अनुमानों के मुकाबले 29% कम थे। कोविड-19 के प्रभाव के मद्देनजर 2019-20 से 6% की औसत वार्षिक वृद्धि देखी जा सकती है।
- जीडीपी वृद्धि: 2021-22 में 14.4% की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर (यानी वास्तविक वृद्धि जमा मुद्रास्फीति) का अनुमान है।
- घाटे: 2021-22 में राजस्व घाटा जीडीपी के 5.1% पर लक्षित है जोकि 2020-21 के 7.5% के संशोधित अनुमान से कम है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.8% पर लक्षित है जोकि 2020-21 के 9.5% के संशोधित अनुमान से कम है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को लगातार कम करते हुए जीडीपी का 4.5% किया जाए।
- मंत्रालयों का आबंटन: 13 मंत्रालयों के लिए सर्वाधिक आबंटन किए गए हैं। इनमें जल शक्ति (64%), उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (48%) और संचार (31%) के लिए 2019-20 की तुलना में सबसे अधिक आबंटन है।

फाइनांस बिल में मुख्य कर प्रस्ताव

- व्यक्तियों और निगमों के लिए आय कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- प्रॉविडेंट फंड्स से आय कर पर छूट की सीमा: प्रॉविडेंट फंड्स में कर्मचारी के अंशदान से होने वाली ब्याज आय पर कर छूट 2.5 लाख रुपए तक ही होगी।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक एक वर्ष के लिए टैक्स इनसेंटिव का विस्तार: इसमें हाउसिंग लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की कर छूट तथा सस्ते आवासी प्रॉजेक्ट्स, स्टार्ट अप्स के मुनाफे पर टैक्स हॉलिडे और स्टार्ट अप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ की छूट शामिल हैं।
- कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सेस: सेस को कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं पर वसूला जाएगा जिनमें सोना, चांदी, एल्कोहलिक बेवरेज, कोयला, और कपास शामिल हैं, तथा बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में समान राशि की कटौती होगी। पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 2.5 रुपए और 4 रुपए प्रति लीटर की दर से सेस वसूला जाएगा है, और उनकी एक्साइज ड्यूटी में उतनी ही कटौती की गई है। चूंकि सेस राज्यों के साथ बांटे नहीं जाते, वे राजस्व के डिवाजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते, इसलिए राज्यों की राजस्व प्राप्तियों पर इसका प्रतिकूल असर होगा।
- कस्टम्स ड्यूटी में परिवर्तन: कुछ वस्तुओं, जैसे कपास, सिल्क, कुछ ऑटो और मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है।
- 'मिनी बजट' घोषणाएं पहले की गई थीं: सर्किल रेट के ऊपर रियल एस्टेट लेनदेन के लिए सेफ हार्बर थ्रेशहोल्ड को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। लीव ट्रैवल कन्सेशन के बदले नकद लेने पर कर से छूट मिलेगी, अगर उस राशि को कुछ वस्तुओं की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- आयकर प्रक्रिया की समयावधि कम की गई: आयकर आकलन के मामलों को फिर से खोलने की समय सीमा छह वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी जाएगी।
- ऑडिट से छूट: जो कारोबार अपना 95% लेनदेन डिजिटली करते हैं और जिनका टर्नओर पांच करोड़ रुपए से कम है, उन्हें ऑडिटेड अकाउंट्स रखने से छूट दी जाती है। यह सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है।

फाइनांस बिल में गैर कर प्रस्ताव

- निम्नलिखित प्रस्ताव मनी बिल की परिभाषा के दायरे में नहीं आते:
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने, शेयर्स जारी करने, सरकारी शेयरहोल्डिंग को 51% करने (पहले पांच वर्ष के लिए न्यूनतम 75%), केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरहोल्डर्स के वोटिंग अधिकार को 5% करने के लिए एलआईसी एक्ट, 1956 में संशोधन किए गए हैं।
- निवेशकों से धनराशि जमा करने वाले पूल्ड इनवेस्टमेंट फंड के लिए सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 में संशोधन किया गया है। ये फंड उधार ले सकते हैं या डेट सिक्योरिटीज़ जारी कर सकते हैं। इसके बाद सरफेसी एक्ट, 2002 तथा बैंक और वित्तीय संस्थान में बकाया ऋण वसूली एक्ट, 1993 में संशोधन किए गए हैं।
- ऑल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स एंड बिजनेस ट्रस्ट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी एक्ट, 1992 में संशोधन किए गए हैं।

नीतियों की झलक

- विधायी बदलाव: सेबी एक्ट, 1992, सरकारी सिक्योरिटीज़ एक्ट, 2007 सहित चार कानूनों को समाहित करके एक सिक्योरिटी मार्केट संहिता पेश की जाएगी। बीमा एक्ट, 1938 को संशोधित किया जाएगा ताकि बीमा कंपनियों में अनुमत एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जा सके और विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को सुरक्षित उपायों के साथ मंजूरी दी जा सके। छोटी कंपनियों की परिभाषा में बदलाव करने के लिए कंपनी एक्ट, 2013 में संशोधन किया जाएगा और इसके लिए पेड अप कैपिटल (50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए) और वार्षिक टर्नओवर (2 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए) की सीमा को बढ़ाया जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के अंतर्गत कुछ अपराधों को गैर अपराधिक बनाया जाएगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 को संशोधित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि बीमा कवर की सीमा तक जमाकर्ताओं को समय पर तथा आसानी से अपनी जमा उपलब्ध हो सके। सरफेसी एक्ट, 2002 के अंतर्गत डेट रिकवरी के लिए एनबीएफसीज़ का न्यूनतम लोन साइज 50 लाख के बजाय 20 लाख रुपए होगा।
- विनिवेश: एयर इंडिया, आईडीबीआई बैंक और पवन हंस में विनिवेश प्रक्रिया 2021-22 में पूरी होगी। दो सरकारी क्षेत्र के बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण के लिए विधायी संशोधन किए जाएंगे। एलआईसी के लिए आईपीओ लाने का काम 2021-22 में पूरा हो जाएगा। सरकार ने रणनीतिक विनिवेश नीति को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत सीपीएसईज़ को केवल चार क्षेत्रों में बरकरार रखा जाएगा, बाकी का निजीकरण किया जाएगा। राज्यों को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश के लिए इनसेंटिव दिया जाएगा। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के मुद्रीकरण के लिए स्पेशल पर्पज वेहिकल का इस्तेमाल किया जाएगा।
- वित्त: मौजूदा स्ट्रेस्ड लोन को एकीकृत करने और एसेट्स के प्रबंधन और निपटान के लिए एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बनाया जाएगा। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाया जाएगा जो प्रतिभागियों के बीच विश्वास पैदा करे और द्वितीयक बाजारों की लिक्विडिटी को बढ़ाए। सभी उत्पादों में वित्तीय निवेशकों के लिए एक निवेशक चार्टर पेश किया जाएगा।
- कॉरपोरेट मामले: ऋण समाधान के वैकल्पिक तरीके और एमएसएमई के लिए विशेष रूपरेखाएं पेश की जाएंगी। कंसीलिएशन संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक कंसीलिएशन तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- वाणिज्य और उद्योग: बुनियादी ढांचा बनाने और निर्यात बढ़ाने के लिए तीन वर्षों में सात कपड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। वन-पर्सन कंपनियों के निगमन को रेगुलेटरी परिवर्तनों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा जैसे कि पेड-अप कैपिटल और टर्नओवर पर प्रतिबंध हटाना और प्रवासी भारतीयों को ऐसी कंपनियों को स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।
- श्रम और रोजगार: गिग श्रमिकों, और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य, आवास, बीमा और अन्य असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाएं बनाई जा सकें। अप्रेंटिसशिप के अवसरों को बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन किया जाएगा।
- स्वास्थ्य एवं पोषण: स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता विकसित करने, राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने और नई एवं उभरती बीमारियों का पता लगाने तथा उनका इलाज करने के लिए संस्थानों के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत

योजना शुरू की जाएगी। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान के विलय के बाद मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल पेश किया जाएगा।

- शिक्षा: भारत में उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए कानून पेश किया जाएगा, जिसमें मानक-निर्धारण, मान्यता, रेगुलेशन और वित्त पोषण के प्रावधान होंगे। नौ शहरों में उच्च शिक्षण संस्थानों हेतु औपचारिक अंब्रेला स्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्रांट बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करने के लिए 15,000 से अधिक स्कूलों को सशक्त किया जाएगा और बाद में इस नीति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दूसरे स्कूलों को मेंटर किया जाएगा।
- इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट: इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के लिए डेवलपमेंट फाइनांशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना हेतु एक बिल पेश किया जाएगा। डीएफआई का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स के वित्तपोषण के लिए कम से कम पांच लाख करोड़ रुपए के ऋण देने वाले पोर्टफोलियो को स्थापित करने के लिए किया जाएगा। रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एसेट्स जैसे संभावित इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स की डेट फाइनांसिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट क्षेत्रों में वित्त की उपलब्धता को आसान बनाया जा सकेगा।
- परिवहन: तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आर्थिक गलियारों की योजना बनाई जा रही है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की बसों को वित्त पोषित, अधिग्रहित, संचालित करने और उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सक्षम करने की योजना शुरू की जाएगी। टियर 1 और टियर 2 शहरों में मेट्रो रेल सिस्टम विकसित करने के लिए मेट्रोलाइट (MetroLite) और मेट्रोनियो (MetroNeo) सहित नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। 2021-22 में प्रमुख बंदरगाहों के लिए सात परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में पेश किया जाएगा। पुराने और अनफिट वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की भी घोषणा की गई है।
- ऊर्जा: इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को सहायता देने हेतु सुधार आधारित योजना शुरू की जाएगी जोकि वायबिलिटी से जुड़ी चिंताओं को दूर करेगी। वितरण कंपनियों के बीच उपभोक्ताओं को विकल्प देने के लिए फ्रेमवर्क भी शुरू किया जाएगा। एक करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए उज्ज्वला योजना को विस्तार दिया जाएगा। सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन्स में कॉमन कैरियर कैपिसिटी की बुकिंग के बीच समन्वय करने के लिए एक स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली ऑपरेटर की स्थापना की जाएगी। ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरुआत की जाएगी।
- विज्ञान और तकनीक: भुगतान के डिजिटल मोड्स के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु योजना प्रस्तावित है। डीप ओशन मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके दायरे में सर्वे एक्सप्लोरेशंस और जैव विविधता के संरक्षण के प्रॉजेक्ट्स शामिल होंगे।
- जल और स्वच्छता: शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जल जीवन मिशन (शहरी) को लागू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कीचड़ और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा, और एकल-उपयोग प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी सुनिश्चित करेगा।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र: ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, जो वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, के दायरे में नष्ट होने वाले 22 उत्पादों को शामिल किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एपीएमसीज़ को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
- सामाजिक न्याय: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत मार्जिन मनी की सीमा को 25% से घटाकर 15% किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

2019-2020 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 2021-22 के बजट अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 महामारी के बीच 1 फरवरी, 2021 को बजट 2021-22 पेश किया। अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और सरकारी वित्त के लिहाज से 2020-21 एक नॉन स्टैंडर्ड वर्ष था। इस नोट में 2019-20 के वास्तविक व्यय की तुलना 2021-22 के बजट अनुमानों से की गई है।

- **कुल व्यय:** सरकार द्वारा 2021-22 में 34,83,236 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है जिसमें 2019-20 की तुलना में 14% की वार्षिक वृद्धि है। कुल व्यय में राजस्व व्यय के 29,29,000 करोड़ रुपए (2019-20 की तुलना में 12% की वार्षिक वृद्धि) और पूंजीगत व्यय के 5,54,236 करोड़ रुपए (2019-20 की तुलना में 29% की वार्षिक वृद्धि) होने का अनुमान है।
- **कुल प्राप्तियां:** सरकार की प्राप्तियां 19,76,424 करोड़ रुपए अनुमानित हैं (उधारियों के अतिरिक्त), जिसमें 2019-20 की तुलना में 6% की वार्षिक वृद्धि है। उधारियां 15,06,812 करोड़ रुपए अनुमानित हैं (2019-20 की तुलना में 27% वार्षिक वृद्धि)।
- **राज्यों को हस्तांतरण:** केंद्र सरकार द्वारा 2020-21 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 13,88,502 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे (2019-20 की तुलना में 10% की वार्षिक वृद्धि)। इसमें (i) राज्यों को केंद्रीय करों से 6,65,563 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया जाएगा (1% की वृद्धि), और (ii) 7,22,939 करोड़ रुपए अनुदानों और ऋणों के रूप में दिए जाएंगे (21% की वृद्धि)। 2020-21 में जहां संशोधित चरण में (बजट अनुमानों से तुलना) राज्यों को 30% कम हस्तांतरण हुए, वहीं अनुदान 26% बढ़ गए।
- **घाटे:** 2021-22 में राजस्व घाटा जीडीपी के 5.1% पर और राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.8% पर लक्षित है। प्राथमिक घाटा (जोकि राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान होता है) का लक्ष्य जीडीपी का 3.1% है। 2020-21 में संशोधित अनुमानों के अनुसार, राजस्व घाटा जीडीपी का 7.5% और राजकोषीय घाटा 9.5% है।
- **जीडीपी की वृद्धि का अनुमान:** 2021-22 में नॉमिनल जीडीपी के 14.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। बजट 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि दर 10% थी जोकि -13% पर संशोधित हुई।

तालिका 1: बजट 2021-22 एक नजर में (रुपए करोड़ में)

	वास्तविक 2019-20	बजटीय 2020-21	संशोधित 2020-21	बजटीय 2021-22	परिवर्तन (वार्षिक दर) (वास्तविक 2019-20 से बअ 2021-22)
राजस्व व्यय	23,50,604	26,30,145	30,11,142	29,29,000	12%
पूंजीगत व्यय	3,35,726	4,12,085	4,39,163	5,54,236	29%
इसमें से:					
पूंजीगत परिव्यय	3,11,312	3,80,322	3,32,247	5,13,862	29%
ऋण	24,414	31,763	1,06,916	40,374	29%
कुल व्यय	26,86,330	30,42,230	34,50,305	34,83,236	14%
राजस्व प्राप्तियां	16,84,059	20,20,926	15,55,153	17,88,424	3%
पूंजीगत प्राप्तियां	68,620	2,24,967	46,497	1,88,000	66%
इसमें से:					
लोन्स की रिकवरी	18,316	14,967	14,497	13,000	-16%
अन्य प्राप्तियां (विनिवेश सहित)	50,304	2,10,000	32,000	1,75,000	87%
कुल प्राप्तियां (उधारियों के बिना)	17,52,679	22,45,893	16,01,650	19,76,424	6%
राजस्व घाटा	6,66,545	6,09,219	14,55,989	11,40,576	31%
जीडीपी का %	3.3%	2.7%	7.5%	5.1%	
राजकोषीय घाटा	9,33,651	7,96,337	18,48,655	15,06,812	27%
जीडीपी का %	4.6%	3.5%	9.5%	6.8%	
प्राथमिक घाटा	3,21,581	88,134	11,55,755	6,97,111	47%
जीडीपी का %	1.6%	0.4%	5.9%	3.1%	

नोट: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में घोषित किए गए बजटीय आबंटनों को बजटीय अनुमान (बअ) कहा जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्तियों और व्यय की अनुमानित राशि को संशोधित अनुमान (संअ) कहा जाता है। वास्तविक राशियां वर्ष में व्यय और प्राप्तियों के ऑडिट किए हुए एकाउंट्स होते हैं। वास्तविक 2019-20 से बअ 2021-22 में परिवर्तन उस अवधि के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को संदर्भित करता है। Sources: Budget at a Glance, Union Budget Documents 2021-22; PRS.

- सरकार के एसेट्स और देनदारियों (जैसे सड़क का निर्माण या लोन की रिकवरी) में बदलाव करने वाले व्यय को पूंजीगत व्यय कहते हैं और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय होते हैं (जैसे वेतन का भुगतान या ब्याज भुगतान)।
- 2021-22 में पूंजीगत व्यय 5,54,236 करोड़ रुपए अनुमानित है (2019-20 की तुलना में 29% की वार्षिक वृद्धि)। राजस्व व्यय 29,29,000 करोड़ रुपए अनुमानित है (2019-20 की तुलना में 12% की बढ़ोतरी)। 2020-21 में कुल व्यय बजट अनुमान से 13% अधिक था, जिसमें राजस्व व्यय में 15% और पूंजीगत व्यय में 7% बढ़ोतरी थी।
- 2019-20 में केंद्र के कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय 12% था। 2021-22 में इसमें 15% की वृद्धि का अनुमान है।
- 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का अनुमान है जोकि 2019-20 के वास्तविक विनिवेश से साढ़े तीन गुना है। सबसे ज्यादा विनिवेश 2017-18 में हुआ था, जब यह आंकड़ा 1,00,045 करोड़ रुपए था।

2021-22 में प्राप्तियों की झलक

- 2021-22 में कुल प्राप्तियां (उधारियों सहित) 34,83,236 करोड़ रुपए और शुद्ध प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 19,76,424 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। 2019-20 की तुलना में प्राप्तियों (उधारियों के बिना) में 6% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है।
- 2019-20 की तुलना में सकल कर राजस्व 22,17,029 करोड़ रुपए अनुमानित है (2019-20 की तुलना में 5% की वार्षिक वृद्धि)। 2020-21 में केंद्र का शुद्ध कर राजस्व (टैक्सों में राज्यों का हिस्सा हटाकर) 15,45,397 करोड़ रुपए अनुमानित है।
- 2021-22 में केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हस्तांतरण 6,65,563 करोड़ रुपए अनुमानित है जोकि 2019-20 में 6,50,678 करोड़ रुपए के हस्तांतरण से थोड़ा ही अधिक है।
- 2021-22 में गैर कर राजस्व 2,43,028 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों से 14% की वार्षिक गिरावट है।
- 2019-20 की तुलना में पूंजीगत प्राप्तियों (उधारियों के बिना) में 66% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। इसका कारण विनिवे है जिसके 2019-20 में 50,304 करोड़ रुपए के मुकाबले 2020-21 में 1,75,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। 2020-21 में उधारियां के 15,06,812 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है (2019-20 की तुलना में 27% की वार्षिक वृद्धि)। 2020-21 के संशोधित अनुमान (18,48,655 करोड़ रुपए) की तुलना में 2021-22 में उधारियों के 19% कम रहने का अनुमान है।

तालिका 2: 2021-22 में केंद्र सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 2019-20	बजटीय 2020-21	संशोधित 2020-21	बजटीय 2021-22	परिवर्तन (वार्षिक दर) (वास्तविक 2019-20 से बअ 2021-22)
सकल कर राजस्व	20,10,059	24,23,020	19,00,280	22,17,059	5%
इसमें से:					
कॉरपोरेशन टैक्स	5,56,876	6,81,000	4,46,000	5,47,000	-1%
इनकम टैक्स	4,92,654	6,38,000	4,59,000	5,61,000	7%
वस्तु एवं सेवा कर	5,98,750	6,90,500	5,15,100	6,30,000	3%
कस्टम्स	1,09,283	1,38,000	1,12,000	1,36,000	12%
यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़	2,40,615	2.67,000	3,61,000	3,35,000	18%
सर्विस टैक्स	6,029	1,020	1,400	1,000	-59%
क. केंद्र का शुद्ध कर राजस्व	**13,56,902**	**16,35,909**	**13,44,501**	**15,45,397**	7%
राज्यों को हस्तांतरण	**6,50,678**	**7,84,181**	**5,49,959**	**6,65,563**	1%
ख. गैर कर राजस्व	**3,27,157**	**3,85,017**	**2,10,653**	**2,43,028**	-14%
इसमें से:					
ब्याज प्राप्तियां	12,349	11,042	14,005	11,541	-3%
लाभांश और लाभ	1,86,132	1,55,396	96,544	1,03,538	-25%
अन्य गैर कर राजस्व	1,28,675	2,18,580	1,00,105	1,27,949	-0.3%
ग. पूंजीगत प्राप्तियां (उधारियों के बिना)	**68,620**	**2,24,967**	**46,497**	**1,88,000**	66%
इसमें से:					
विनिवेश	50,304	2,10,000	32,000	1,75,000	87%
प्राप्तियां (उधारियों के बिना) (ए+बी+सी)	**17,52,679**	**22,45,893**	**16,01,651**	**19,76,424**	6%
उधारियां	**9,33,651**	**7,96,337**	**18,48,655**	**15,06,812**	27%
कुल प्राप्तियां (उधारियों के साथ)	**26,86,330**	**30,42,230**	**34,50,306**	**34,83,236**	14%

Sources: Receipts Budget, Union Budget Documents 2021-22; PRS.

- **अप्रत्यक्ष कर: 2021-22 में 11,02,000 करोड़ रुपए का कुल अप्रत्यक्ष कर जमा होने का अनुमान है। इसमें से सरकार को जीएसटी से 6,30,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। जीएसटी के अंतर्गत जमा किए गए कुल करों में से 84% (5,30,000 करोड़ रुपए) केंद्रीय जीएसटी और 16% (1,10,000 करोड़ रुपए) मुआवजा सेस से प्राप्त होने की उम्मीद है।**
- **केंद्रीय एक्साइज ड्यूटीज़: केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से 3,35,000 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान है (2019-20 की तुलना में 18% की वार्षिक वृद्धि)। 2020-21 में एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त राजस्व के संशोधित अनुमान बजट अनुमान से 35% अधिक थे जिसका कारण पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली ड्यूटी है।**
- **कॉरपोरेशन टैक्स: कंपनियों पर टैक्स कलेक्शन के 2021-22 में 5,47,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जोकि 2019-20 की तुलना में कुछ कम (1%) है। 2020-21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, कॉरपोरेशन टैक्स से 4,46,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था जोकि बजट अनुमानों से 35% कम था। सभी प्रत्यक्ष कर राजस्व में कॉरपोरेट टैक्स से प्राप्त राजस्व में सबसे अधिक गिरावट आई है।**
- **इनकम टैक्स: 2021-22 में इनकम टैक्स से प्राप्त कलेक्शन 7% सालाना बढ़कर 5,61,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। 2020-21 में इनकम टैक्स से प्राप्त राजस्व के संशोधित अनुमान बजट अनुमान से 28% कम थे।**
- **गैर कर प्राप्तियां: गैर कर प्राप्तियों में केंद्र द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज, लाभांश और लाभ, बाहरी अनुदान और सामान्य, आर्थिक, सामाजिक सेवाओं इत्यादि से मिलने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं। 2019-20 की तुलना में गैर कर राजस्व में 14% की गिरावट का अनुमान है, और इस राशि के 2,43,028 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकार के स्वामित्व वाले अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त लाभांश में 40% की कमी के कारण है।**
- **विनिवेश का लक्ष्य: 2021-22 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपए है। यह लक्ष्य 2019-20 में 50,304 करोड़ रुपए के विनिवेश से साढ़े तीन गुना अधिक है।**

2021-22 में व्यय की झलक

- **2021-22 में कुल व्यय के 34,83,236 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जोकि 2020-21 के संशोधित अनुमान से 1% अधिक है। 2021-22 में व्यय 2019-20 की तुलना में वार्षिक 14% की दर से बढ़ा है। इसमें से, (i) 10,51,703 करोड़ रुपए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में (2019-20 की तुलना में 18% की वार्षिक वृद्धि), और (ii) 3,81,305 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में (2019-20 की तुलना में 11% की वृद्धि) खर्च किया जाना प्रस्तावित है।**
- **2021-22 में सरकार द्वारा ब्याज भुगतान पर 8,09,701 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है जोकि 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 17% अधिक है। यह 2021-22 में सरकार के अनुमानित खर्च का 23% है। 2021-22 में पेंशन पर 1,89,328 करोड़ रुपए के व्यय की उम्मीद है (2019-20 की तुलना में 1% की वार्षिक वृद्धि)।**

तालिका 3: 2021-22 में केंद्र सरकार के व्यय का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 2019-20	बजटीय 2020-21	संशोधित 2020-21	बजटीय 2021-22	परिवर्तन (वार्षिक दर) (वास्तविक 2019-20 से बअ 2021-22)
केंद्रीय व्यय					
केंद्र का इस्टैबलिशमेंट व्यय	5,70,244	6,09,585	5,98,672	6,09,014	3%
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/प्रॉजेक्ट्स	7,57,091	8,31,825	12,63,690	10,51,703	18%
अन्य व्यय	7,27,025	8,87,574	8,26,536	10,11,887	18%
केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं और अन्य हस्तांतरण					
केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	3,09,553	3,39,895	3,87,900	3,81,305	11%
वित्त आयोग के अनुदान	1,23,710	1,49,925	1,82,352	2,20,843	34%
इसमें से:					
ग्रामीण स्थानीय निकाय	59,361	69,925	60,750	44,901	-13%
शहरी स्थानीय निकाय	25,098	30,000	25,000	22,114	-6%
सहायतानुदान	10,938	20,000	22,262	35,376	80%
वितरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान	28,314	30,000	74,340	1,18,452	105%
अन्य अनुदान	1,98,707	2,23,427	1,91,155	2,08,484	2%
कुल व्यय	**26,86,330**	**30,42,230**	**34,50,305**	**34,83,236**	**14%**

Sources: Budget at a Glance, Union Budget Documents 2021-22; PRS.

सब्सिडी पर व्यय: 2021-22 में सब्सिडी पर कुल खर्च 3,69,899 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2019-20 की तुलना में 19% की वार्षिक वृद्धि है। इसका कारण खाद्य सब्सिडी के लिए अत्यधिक आबंटन है। विवरण निम्नलिखित है (तालिका 4):

- **खाद्य सब्सिडी: 2021-22 में खाद्य सब्सिडी के लिए 2,42,836 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया जोकि 2019-20 की तुलना में 49% अधिक है। 2020-21 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 1,15,570 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, हालांकि संशोधित अनुमान, 4,22,618 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 266% अधिक थे। बजट अभिभाषण के अनुसार, 2021-22 के बजट में भारतीय खाद्य निगम के लंबित खाद्य सब्सिडी देय का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आबंटन किया गया है।**
- **उर्वरक सब्सिडी: 2021-22 में उर्वरक सब्सिडी पर 79,530 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है जिसमें 2019 की तुलना में 1% की वार्षिक वृद्धि है। यह 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में 8,689 करोड़ रुपए की गिरावट है (10.9%)। 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी का संशोधित आबंटन बजटीय आबंटन से 88% अधिक है।**
- **पेट्रोलियम पर सब्सिडी: 2019-20 से 2021-22 के दौरान पेट्रोलियम सबसिडी पर आबंटन में 40% की वार्षिक गिरावट हुई। 2021-22 में आबंटन 2020-21 के संशोधित अनुमान से 64% कम यानी 14,073 करोड़ रुपए है। पेट्रोलियम सब्सिडी में एलपीजी और केरोसिन पर सब्सिडी शामिल होती है। 2021-22 में, एलपीजी सब्सिडी घटकर 14,073 करोड़ रुपए (2020-21 में 36,072 करोड़ रुपए से) होने का अनुमान है और केरोसिन सब्सिडी के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है (2020-21 में 2,982 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था)।**
- **अन्य सब्सिडीज़: सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण पर ब्याज सबसिडी देती है और धान एवं गेहूं के अतिरिक्त कृषि उत्पादों की खरीद पर सबसिडी देती है। 2021-22 में इन सबसिडीज़ पर 33,460 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है जिसमें 2019-20 की तुलना में 1% की वार्षिक गिरावट है।**

तालिका 4: 2021-22 में सब्सिडी (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 2019-20	बजटीय 2020-21	संशोधित 2020-21	बजटीय 2021-22	परिवर्तन (वार्षिक दर) (वास्तविक 2019-20 से बअ 2021-22)
खाद्य सब्सिडी	1,08,688	1,15,570	4,22,618	2,42,836	49%
उर्वरक सब्सिडी	81,124	71,309	1,33,947	79,530	-1%
पेट्रोलियम सब्सिडी	38,529	40,915	39,055	14,073	-40%
अन्य सब्सिडी	33,963	34,315	53,116	33,460	-1%
कुल	**2,62,304**	**2,62,109**	**6,48,736**	**3,69,899**	**19%**

Sources: Expenditure Profile, Union Budget 2020-21; PRS.

मंत्रालयों के व्यय: 2020-21 में जिन 13 मंत्रालयों को सबसे अधिक आबंटन किए गए, उसकी राशि कुल अनुमानित व्यय का 53% है। 2021-22 में इनमें से रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक 4,78,196 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई (सरकार के कुल बजटीय व्यय का 14%)। अन्य मंत्रालय, जिन्हें सबसे अधिक आबंटन किए गए, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, (ii) गृह मामले, (iii) ग्रामीण विकास, और (iv) कृषि एवं किसान कल्याण। तालिका 5 में 2021-22 में सर्वाधिक आबंटन वाले 13 मंत्रालयों का विवरण दिया गया है तथा 2019-20 की तुलना में वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 5: 2021-22 में मंत्रालय पर व्यय (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 2019-20	बजटीय 2020-21	संशोधित 2020-21	बजटीय 2021-22	परिवर्तन (वार्षिक दर) (वास्तविक 2019-20 से बअ 2021-22)
रक्षा	4,52,996	4,71,378	4,84,736	4,78,196	3%
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	1,17,096	1,24,535	4,50,687	2,56,948	48%
गृह मामले	1,34,978	1,67,250	1,49,388	1,66,547	11%
ग्रामीण विकास	1,23,622	1,22,398	1,98,629	1,33,690	4%
कृषि एवं किसान कल्याण	1,01,775	1,42,762	1,24,520	1,31,531	14%
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	78,249	91,823	1,01,823	1,18,101	23%
रेलवे	69,972	72,216	1,11,234	1,10,055	25%
शिक्षा	89,437	99,312	85,089	93,224	2%
रसायन एवं उर्वरक	82,063	71,897	1,35,559	80,715	-1%
संचार	43,939	81,957	61,060	75,265	31%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	64,258	67,112	82,928	73,932	7%
जल शक्ति	25,683	30,478	24,286	69,053	64%
आवासन एवं शहरी मामले	42,054	50,040	46,791	54,581	14%
अन्य मंत्रालय	12,60,209	14,49,071	13,93,577	16,41,398	14%
कुल व्यय	**26,86,330**	**30,42,230**	**34,50,305**	**34,83,236**	**14%**

नोट: व्यय में शुद्ध रिकवरी होती है, जैसे जुर्माना और टिकट बिक्री।

Sources: Expenditure Budget, Union Budget 2021-22; PRS.

- **उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण: 2019-20 में खाद्य सबसिडी के लिए किए गए उच्च आबंटन के कारण 2021-22 में मंत्रालय के आबंटन में 48% की वार्षिक वृद्धि देखी गई। इसी कारण 2020-21 के लिए मंत्रालय के संशोधित आबंटन में भी बजटीय अनुमान की तुलना में 3,26,151 करोड़ रुपए (262%) की वृद्धि हुई।**
- **रेलवे मंत्रालय: 2020-21 में रेलवे मंत्रालय का आबंटन 1,10,055 करोड़ रुपए है जिसमें 2019-20 की तुलना में 25% की वार्षिक वृद्धि है। इसमें निम्नलिखित मदों में विशेष लोन के जरिए आबंटित 79,398 करोड़ रुपए शामिल हैं: (i) 2020-21 में कोविड-19 के कारण भारतीय रेलवे के घाटे को पूरा करना, और (ii) 2019-20 के लिए देय पेंशन का भुगतान।**

- **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: 2021-22 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का आबंटन 73,932 करोड़ रुपए है जिसमें 2019-20 की तुलना में 7% की वार्षिक वृद्धि है। 2020-21 में मंत्रालय को बजटीय चरण में 67,112 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे जोकि संशोधित चरण में 24% बढ़कर 82,928 करोड़ रुपए हो गए। इस वृद्धि का कारण मुख्यतया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के लिए 11,757 करोड़ रुपए का आबंटन है।**
- **जल शक्ति मंत्रालय: 2021-22 में मंत्रालय का आबंटन 69,053 करोड़ रुपए हो गया जोकि 2020-21 के संशोधित अनुमान से 184% अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के लिए किए गए अत्यधिक आबंटन के कारण हुई (इसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन कहा जाता था) जोकि मंत्रालय के कुल आबंटन का 72% है।**

मुख्य योजनाओं पर व्यय

तालिका 6: 2021-22 में योजनाओं के लिए आबंटन (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 2019-20	बजटीय 2020-21	संशोधित 2020-21	बजटीय 2021-22	परिवर्तन (वार्षिक दर) (वास्तविक 2019-20 से बअ 2021-22)
मनरेगा	71,687	61,500	1,11,500	73,000	1%
पीएम-किसान	48,714	75,000	65,000	65,000	16%
जल जीवन मिशन*	10,030	11,500	11,000	50,011	123%
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	35,155	34,115	35,554	37,130	3%
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	33,654	39,161	28,244	34,300	1%
प्रधानमंत्री आवास योजना	24,964	27,500	40,500	27,500	5%
एकीकृत बाल विकास सेवाएं	22,032	28,557	20,038	24,114#	5%
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	12,639	15,695	15,307	16,000	13%
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	14,017	19,500	13,706	15,000	3%
राष्ट्रीय जीविकोपार्जन मिशन	9,755	10,005	10,005	14,473	22%
अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन	9,599	13,750	9,850	13,750	20%
हरित क्रांति	9,895	13,320	10,474	13,408	16%
स्वच्छ भारत मिशन	9,469	12,294	7,000	12,294	14%
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	8,200	11,127	7,954	11,588	19%
मिड-डे मील कार्यक्रम	9,699	11,000	12,900	11,500	9%

नोट: *पहले राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन, #2020-21 तक अंब्रेला आईसीडीएस योजना और 2021-22 में उसकी प्रत्येक योजना का योग

Sources: Expenditure Profile, Union Budget 2021-22; PRS.

- **अन्य योजनाओं की तुलना में मनरेगा के लिए 2021-22 के लिए सर्वाधिक आबंटन 73,000 करोड़ रुपए किया गया। योजना के आबंटन में 2019-20 की तुलना में वार्षिक 1% की वृद्धि की गई है। हालांकि मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के अंतर्गत घोषणा के बाद 2020-21 में योजना के लिए बजटीय चरण से संशोधित चरण में आबंटन 50,000 करोड़ रुपए (81%) बढ़ाया गया है।**
- **पीएम-किसान योजना (किसानों को आय समर्थन) के लिए 2021-22 में दूसरा सबसे अधिक आबंटन (65,000 करोड़ रुपए) किया गया है जिसमें 2019-20 की तुलना में 16% की वार्षिक वृद्धि है। 2020-21 में योजना के आबंटन में 13% की गिरावट हुई है। यह बजटीय चरण में 75,000 करोड़ रुपए था, जोकि संशोधित चरण में 65,000 करोड़ रुपए कर दिया गया।**
- **जल जीवन मिशन (इसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन नाम दिया गया था) के आबंटन में 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 355% की वृद्धि हुई है। संशोधित चरण में यह राशि 50,011 करोड़ रुपए थी।**

कोविड-19 वैक्सीनेशन: केंद्र सरकार ने 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए वित्त मंत्रालय को 35,000 करोड़ रुपए आबंटित किए। यह आबंटन राज्यों को कोविड-19 के वैक्सीनेश हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए किया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उप योजनाओं और महिलाओं, बच्चों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय

- **2021-22 में महिला एवं बाल कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2,39,039 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया, जिसमें 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 17% की गिरावट है। इस आबंटन में सभी मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम शामिल हैं।**

तालिका 7: महिलाओं, बच्चों, एससीज़, एसटीज़ और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटन (करोड़ रुपए में)

	बजटीय 2020-21	संशोधित 2020-21	बजटीय 2021-22	% परिवर्तन (संअ 2020-21 to बअ 2021-22)
महिला कल्याण	1,43,462	2,07,261	1,53,326	-26.0%
बाल कल्याण	96,042	80,462	85,713	6.5%
अनुसूचित जाति	83,257	82,708	1,26,259	52.7%
अनुसूचित जनजाति	53,653	53,304	79,942	50.0%
पूर्वोत्तर क्षेत्र	60,112	51,271	68,020	32.7%

Sources: Expenditure Profile, Union Budget 2021-22; PRS.

- **2021-22 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए कुल 2,06,201 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। इसमें 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 51% की वृद्धि है।**

राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन के लक्ष्य

राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2003 के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि केंद्र सरकार बकाया ऋण, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करेगी। हर वर्ष केंद्र सरकार अपना बजट प्रस्तुत करते हुए इनके लिए तीन वर्ष के आवर्ती लक्ष्य देती है। सरकार को 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक लक्षित करना था। बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में 3.5% की राहत दी गई थी (जैसा कि एफआरबीएम एक्ट में अनुमत है) और यह अनुमान लगाया गया कि 2022-23 तक राजकोषीय घाटा 3.1% हासिल कर लिया जाएगा। 2021-22 में सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए लक्ष्य नहीं प्रदान किए और वह उच्च राजकोषीय घाटे को समायोजित करने के लिए एफआरबीएम एक्ट में संशोधन करेगी।

राजकोषीय घाटा उन उधारियों का संकेत देता है जिनसे सरकार अपने व्यय को वित्त पोषित करती है। 2021-22 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% है। 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% लक्षित है जोकि 3.5% के बजट अनुमान से अधिक है। इसका मुख्य कारण कोविड-19 के मद्देनजर अधिक खर्चा और कम राजस्व संग्रह है। सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% करने का इरादा रखती है।

तालिका 8: घाटे (जीडीपी का %)

	वास्तविक 2019-20	संशोधित 2020-21	बजटीय 2021-22
राजकोषीय घाटा	4.6%	9.5%	6.8%
राजस्व घाटा	3.3%	7.5%	5.1%

Sources: Union Budget 2021-22; PRS.

उल्लेखनीय है कि 2019-20 और 2020-21 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (जैसे भारतीय खाद्य निगम) द्वारा किए गए कुछ खर्चों को बजटेतर संसाधन के तौर पर प्रदर्शित किया था जिन्हें राजकोषीय घाटे की गणना में शामिल नहीं किया था। 2020-21 में बजटेतर संसाधन जीडीपी का 0.9% अनुमानित थे। 2020-21 के लिए बजटेतर संसाधन कम होकर जीडीपी का 0.6% हो गए। 2021-22 में बजटेतर संसाधन जीडीपी के 0.1% पर अनुमानित हैं, चूंकि सरकार ने बजट में अधिकतर बजटेतर संसाधनों की गणना की है।

राजकोषीय घाटा: बजटीय बनाम वास्तविक (जीडीपी का %)

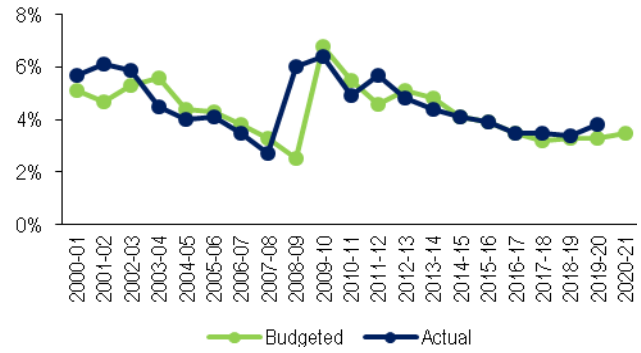

राजस्व घाटा: बजटीय बनाम वास्तविक (जीडीपी का %)

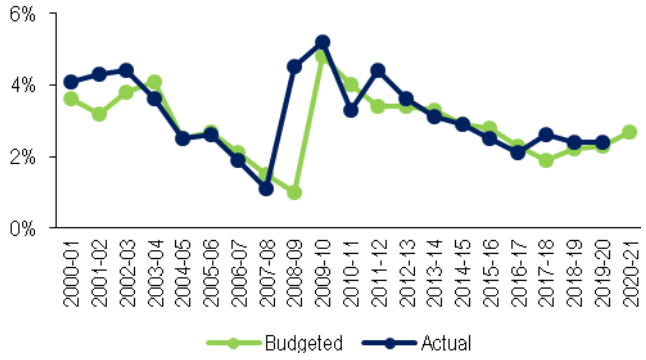

Sources: Medium Term Fiscal Policy Statement, Union Budget (multiple years); PRS.

- **राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। इसका यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जिनसे भविष्य में प्राप्तियां नहीं हो सकतीं। 2021-22 के लिए अनुमानित राजस्व घाटा जीडीपी का 5.1% है। 2020-21 में राजस्व घाटा 7.5% था जोकि 2.7% बजट अनुमान से अधिक है।**
- **बकाया ऋण कई वर्षों की उधारियों का संग्रह होता है। अधिक ऋण का अर्थ यह होता है कि सरकार पर आने वाले वर्षों में ऋण चुकाने का अधिक बड़ा दायित्व है। सरकार के बकाया ऋण 2004-05 में जीडीपी के 66.7% से घटकर 2018-19 में जीडीपी के 48% हो गए थे। 2019-20 में बकाया ऋण का संशोधित अनुमान 48% था। हालांकि मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य में 2021-22 के लिए बकाया ऋण का अनुमान, या 2020-21 का संशोधित अनुमान नहीं दिया गया है।**
- **वर्तमान वर्ष में उच्च उधारियां (राजकोषीय घाटे द्वारा सूचित) और बकाया ऋण में बढ़ोतरी से ब्याज की लागत बढ़ती है। 2019-20 की ऋण बाध्यता के मुकाबले 2021-22 में ब्याज भुगतान के 15% अधिक होने का अनुमान है। 2021-22 में ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 45% होना अनुमानित है। 2019-20 में इसकी दर 36% थी।**

15वें वित्त आयोग के सुझाव

2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग ने केंद्र के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग का सुझाव दिया है। इसके लिए राजकोषीय घाटे को कम करके जीडीपी का 4% किया जाए और 2025-26 तक बकाया देनदारियों को 56.6% किया जाए।

15वें वित्त आयोग के सुझावों पर विवरण के लिए अनुलग्नक देखें।

तालिका 9: राजकोषीय समेकन के मार्ग का सुझाव (जीडीपी का %)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
राजकोषीय घाटा	7.4%	6.0%	5.5%	5.0%	4.5%	4.0%
राजस्व घाटा	5.9%	4.9%	4.5%	3.9%	3.3%	2.8%
बकाया देनदारियां	62.9%	61.0%	61.0%	60.1%	58.6%	56.6%

Sources: Report of the 15th Finance Commission for 2021-26; PRS.

अनुलग्नक: 2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के सुझाव

15वें वित्त आयोग (चेयर: एन. के. सिंह) ने दो रिपोर्ट सौंपी हैं। पहली रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सुझाव हैं जिसे फरवरी 2020 में संसद के पटल पर रखा गया। अंतिम रिपोर्ट में 2021-26 के लिए सुझाव हैं और इसे 1 फरवरी, 2021 को संसद में पेश किया गया। आयोग के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **हस्तांतरण का मानदंड: 2021-26 के दौरान राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण का मानदंड वही है, जोकि 2020-21 का था। आयोग ने राज्यों के हिस्से को निर्धारित करने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। राज्यों द्वारा अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसे आयोग ने जनसांख्यिकी प्रदर्शन मानदंड के लिए इस्तेमाल किया है। निम्न प्रजनन दर वाले राज्यों को इस मानदंड पर ज्यादा अंक मिलेंगे।**
- **सहायतानुदान: आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए केंद्र द्वारा राज्यों और स्थानीय निकायों को 10.3 लाख करोड़ रुपए के अनुदान का सुझाव दिया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i)17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान, (ii) शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, (iii) आपदा प्रबंधन अनुदान, (iv) स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सहित आठ क्षेत्रों को अनुदान, और (v) कुछ राज्य विशिष्ट अनुदान (देखें तालिका 11)।**
- **रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए वित्त पोषण: रक्षा और आंतरिक सुरक्षा हेतु बजटीय जरूरतों और पूंजीगत परिव्यय के बीच के अंतर को कम करने के लिए एक डेडिकेटेड नॉन-लैप्सेबल फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा मॉर्डनाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी (एमएफडीआईएस)। इस फंड में पांच वर्षों (2021-26) के लिए 2,38,354 करोड़ रुपए का अनुमानित कॉरपस होगा। इसमें से 1,53,354 करोड़ रुपए भारत की समेकित निधि से हस्तांतरित किए जाएंगे। शेष राशि अन्य उपायों से जुटाई जाएगी, जैसे रक्षा पीएसयूज़ का विनिवेश और रक्षा भूमि का मुद्रीकरण।**

तालिका 10: हस्तांतरण के लिए मानदंड

मानदंड	14वां वित्त आयोग 2015-20	15वां वित्त आयोग 2020-21	15वां वित्त आयोग 2021-26
आय का अंतर	50.0	45.0	45.0
क्षेत्र	15.0	15.0	15.0
जनसंख्या (1971)	17.5	-	-
जनसंख्या (2011)#	10.0	15.0	15.0
जनसांख्यिकी प्रदर्शन	-	12.5	12.5
वन क्षेत्र	7.5	-	-
वन और पारिस्थितिकी	-	10.0	10.0
कर और राजकोषीय प्रयास*	-	2.5	2.5
कुल	**100**	**100**	**100**

नोट: #14वें वित्त आयोग ने 'जनसांख्यिकी परिवर्तन' शब्द का इस्तेमाल किया था जिसका अर्थ 2011 की जनसंख्या था। *2020-21 की रिपोर्ट में 'कर प्रयास' शब्द का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि मानदंड की परिभाषा में कोई अंतर नहीं था।
Sources: Reports of the 14th and 15th Finance Commissions; PRS.

तालिका 11: 2021-26 के लिए अनुदान (पांच वर्ष) (करोड़ रुपए में)

अनुदान	राशि
राजस्व घाटा अनुदान	2,94,514
स्थानीय सरकारों को अनुदान	4,36,361
आपदा प्रबंधन अनुदान	1,22,601
क्षेत्र विशिष्ट अनुदान	1,29,987
स्वास्थ्य	31,755
स्कूली शिक्षा	4,800
उच्च शिक्षा	6,143
कृषि सुधारों का कार्यान्वयन	45,000
पीएमजीएसवाई सड़कों का रखरखाव	27,539
ज्यूडीशियरी	10,425
सांख्यिकी	1,175
आकांक्षी जिले और ब्लॉक	3,150
राज्य विशिष्ट अनुदान	49,599
कुल	**10,33,062**

Source: Report of the 15th Finance Commission; PRS.

- **राजकोषीय समेकन: आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र को 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4% करना चाहिए। उसने सुझाव दिया है कि राज्यों की राजकोषीय घाटा सीमा (जीएसडीपी का %) निम्नलिखित होनी चाहिए: (i) 2021-22 में 4% (ii) 2022-23 में 3.5%, और (iii) 2023-26 के दौरान 3%। राज्यों को 2021-26 के दौरान बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए जीएसडीपी के 0.5% मूल्य का अतिरिक्त वार्षिक ऋण लेने की अनुमति होगी।**
- **आयोग ने कहा कि राजकोषीय घाटे के प्रस्तावित तरीके से कुल देनदारियों में कमी होगी: (i) केंद्र की देनदारी 2020-21 में जीडीपी के 62.9% से कम होकर 2025-26 में 56.6% होगी, और (ii) राज्यों की कुल देनदारियां 2020-21 में जीडीपी के 33.1% से कम होकर 2025-26 में 32.5% हो जाएगी। आयोग ने निम्नलिखित के लिए उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी समूह गठित करने का सुझाव दिया है: (i) राजकोषीय दायित्व कानून (एफआरबीएम एक्ट) की समीक्षा, और (ii) नई राजकोषीय दायित्व संरचना का सुझाव और उसके कार्यान्वयन की निगरानी।**

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।